

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—613 / 2009
 संस्थित दिनांक—20.11.2009
 फाइलिंग क्र.234503000662009

वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा, सामान्य
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

आई.एल. वासनिक पिता ज्ञानीराम उम्र—55 वर्ष,
 उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, बालाघाट
 निवासी—वार्ड नं—32, नर्मदा नगर बालाघाट,
 तहसील व थाना बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—07/08/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध धारा—26(1) छ, ज भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—22.12.2006 के पूर्व वन विभाग डाबरी बीट, उत्तर वन मण्डल बालाघाट (सामान्य) में कक्ष क्रमांक—1965—ए में करीब 3 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर तालाब निर्माण के लिए उत्खनन किया, जिससे शासन को करीब 1,63,178/—(एक लाख त्रैसठ हजार एक सौ अठ्त्तर रुपये) की हानि हुई एवं वन विभाग के इमारती वृक्ष डूब में आने से खराब हो गए।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का परिवाद इस प्रकार है कि डाबरी बीट के कर्मचारीगण द्वारा भ्रमण के दौरान कक्ष क्रमांक—1965—ए में पाया कि आरोपी आई.एल. वासनिक द्वारा करीब 3 एकड़ शासकीय वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर तालाब निर्माण के लिए उत्खनन किया गया है। आरोपी के विरुद्ध दिनांक—22.12.06 को पी.ओ. आर. क्रमांक—20360/25 काटा गया। विवेचना के दौरान मूल्यांकन पत्रक, जप्तीनामा, मौकानक्शा, मौके का पंचनामा आदि बनाकर साक्षियों के कथन लेख कर विवेचना के उपरान्त आरोपी के विरुद्ध वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा—26(1) छ, ज एवं वन संरक्षण 1980 की धारा—2(11) वन अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पत्र न्यायालय में

पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय वन अधिनियम की धारा-26(1) छ, ज के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष होना प्रकट कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-22.12.2006 के पूर्व वन विभाग डाबरी बीट, उत्तर वन मण्डल बालाघाट (सामान्य) में कक्ष क्रमांक-1965-ए में करीब 3 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर तालाब निर्माण के लिए उत्खनन किया, जिससे शासन को करीब 1,63,178/- (एक लाख त्रैसठ हजार एक सौ अठत्तर रुपये) की हानि हुई एवं वन विभाग के इमारती वृक्ष डूब में आने से खराब हो गए ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— देवराज सिंह मरकाम (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.2006 को बटरंगा बीट परिक्षेत्र दक्षिण उकवा में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपने स्टाफ सहित वन भ्रमण पर ग्राम डाबरी गया हुआ था। वहां उसने देखा कि मजदूरों द्वारा खंती खुदवाई जा रही थी और मिट्टी तालाब के पार में डाली जा रही थी। मजदूरों द्वारा पता चला था कि उक्त कार्य आरोपी आई.एल. वासनिक के द्वारा करवाया गया है। उक्त कक्ष क्रमांक-1965-ए वन विभाग की भूमि में करवाया जा रहा था। मौके का पंचनामा उसके समक्ष बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष प्रदर्श पी-2 का पंचनामा बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे अपने कार्यक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण एवं उत्खनन के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ था। कक्ष क्रमांक-1965-ए डाबरी बीट के अंतर्गत आता है।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह वन विभाग व राजस्व विभाग की भूमि की सीमा तालाब स्थल पर लगी हुई है। साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया कि उक्त तालाब वन एवं राजस्व विभाग की सीमा पर बन रहा था और आरोपी मौके पर शासकीय कार्य करवा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जहां शासकीय कार्य चल रहा था, वहां आरोपी उपस्थित नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मौका पंचनामा प्रदर्श पी-1 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किस एजेन्सी द्वारा उक्त कार्य कराया जा रहा है तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा कार्य कराया जा रहा था। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आरोपी को मौके पर कार्य करते हुए नहीं देखा और न ही उसके आदेश या निरीक्षण में कथित कार्य किया जा रहा था, इसका कथन किया गया है। साक्षी के कथन में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— धरमसिंह सैयाम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.2006 को ग्राम डाबरी की वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था। वन विभाग दक्षिण उकवा के अधिकारी मौके पर जहां तालाब बन रहा था, वहां आए थे। उक्त तालाब वासनिक साहब के अण्डर में था। उक्त तालाब वन विभाग की भूमि में खुद रहा था। तालाब का काम वन विभाग की भूमि में चल रहा था। उसके समक्ष आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. नहीं काटा गया था। उसके सामने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार नहीं हुआ था, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इंकार किया कि उसके समक्ष पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-4 काटा गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया गया था। वह नहीं बता सकता कि आरोपी वन भूमि में तालाब खुदवा रहा था या नहीं। साक्षी ने अस्वीकार कि वह आरोपी से मिलकर न्यायालय समक्ष झूठे कथन कर रहा है।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि तालाब निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित होने के बाद निर्माण किया जाता है तथा ऐसे तालाबों के निर्माण की कार्य एजेन्सी ग्राम पंचायत होती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि तालाब निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा था और आरोपी उक्त निर्माण नहीं करवा रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी का समर्थन न करते हुए आरोपी के द्वारा लिए

बचाव का ही समर्थन किया है।

9— एम.के. गोले (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी आई.एल. वासनिक को नहीं जानता। कई बार नोटिस देने के बाद भी आरोपी उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक-22.12.2006 को वह वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर दक्षिण उत्पादन में पदस्थ था। आरोपी आर.इ.एस. विभाग में सब इंजिनियर के पद पर पदस्थ था। उनके द्वारा कक्ष क्रमांक-1965-ए डाबरी की वन भूमि में अवैध उत्खनन कर तालाब का निर्माण करवाया था, जिसके कारण उक्त वन भूमि में खड़े वृक्ष भी नष्ट हो गए थे। उक्त भूमि पर उत्खनन हेतु आरोपी द्वारा वन विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। उक्त प्रकरण की जांच परिक्षेत्र सहायक डाबरी ए.एस. मरकाम द्वारा की गई थी। प्रकरण की जांच उपरान्त प्रकरण के सभी दस्तावेजों का उसने अवलोकन किया था। आरोपी को उपस्थिति बाबत सूचना देने के लिए वन रक्षक को पहुंचाया गया था, परंतु आरोपी के न मिलने पर वनरक्षक द्वारा लिखित सूचना प्रदर्श पी-5 उसे दी गई थी, जिस पर उसके एवं वनरक्षक डी.आर. शरणागत के हस्ताक्षर हैं। डी.आर. शरणागत ने उसके अधीन दो वर्ष तक कार्य किया है, इसलिए वह उनकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर से परिचित है। तत्पश्चात् वर्ष 2008 में उसका स्थानांतरण जबलपुर कार्य योजना में हो गया था। उसके स्थान पर जी.एस. मरावी वन परिक्षेत्र अधिकारी पदस्थ हुए थे। इस प्रकरण का परिवाद पत्र उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है।

10— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में कोई जांच नहीं की। इस प्रकार साक्षी ने उसके पूर्व अधिकारी द्वारा की गई जांच कार्यवाही के आधार पर आरोपी को नोटिस दिए जाने की पुष्टि तो की है, किन्तु साक्षी के द्वारा आरोपी की ओर से कथित निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में कथन करते हुए परिवादी पक्ष का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से परिवादी पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

11— कमलसिंह वायाम (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.06 को डाबरी बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जब वह अपनी बीट में गश्ती कर रहा था, तो कक्ष क्रमांक-1965-ए में खंती खुदाई और पत्थर के उत्खनन का कार्य हो रहा था। उक्त कार्य को आरोपी आई.एल. वासनिक करवा रहा था। आरोपी के पास वन भूमि की खुदाई के संबंध में कोई अनुमति

पत्र नहीं था। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध में पी.ओ.आर. क्रमांक-20360/25 दिनांक-22.12.06 जो प्रदर्श पी-4 है, काटी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वन भूमि में खंती और पत्थर उत्खनन से 1,63,178/-रूपये की क्षति हुई थी का मूल्यांकन प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तीनामा प्रदर्श पी-3 साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष नक्शा प्रदर्श पी-7 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के द्वारा वन्य भूमि में करवाए जाने वाले कार्य की सूचना प्रदर्श पी-8 के माध्यम से वन परिक्षेत्र अधिकारी उकवा को सूचित किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष प्रदर्श पी-1 का मौके का पंचनामा बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष परिक्षेत्र सहायक द्वारा साक्षियों के बयान देने से इंकार करने का पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष परिक्षेत्र सहायक डाबरी ने अपराधी का फरारी पंचनामा प्रदर्श पी-14 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे जांच हेतु प्रदर्श पी-9 का आवेदन प्राप्त हुआ था। उसने परिक्षेत्र सहायक को अपना बयान प्रदर्श पी-10 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने कार्यालय में रखे मापदण्ड के दस्तावेज के आधार पर क्षति का आंकलन किया है तथा मापदण्ड के दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जिस तालाब का निर्माण किया जा रहा था वह शासन के व्यय पर किया जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे नहीं मालूम की उक्त निर्माण कार्य सरपंच ग्राम पंचायत अडोरी के द्वारा किया जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने उत्खनन के उपकरण की जप्ती नहीं की और नक्शा प्रदर्श पी-7 में मौके पर कहां उत्खनन कार्य किया गया था, उसका लेख भी नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह मौके पर आरोपी को कथित खुदाई करते हुए नहीं देखा और न ही आरोपी की उपस्थिति में कोई कार्यवाही की है। साक्षी के द्वारा जिन दस्तावेजी कार्यवाही को किया जाना बताया गया है, उनका आधार स्पष्ट नहीं किया है। उक्त कार्य आरोपी के द्वारा किये जाने के संबंध में स्वयं आरोपी को कार्य कराते हुए न देखे जाने के कारण साक्षी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार साक्षी

के कथन से आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

13— कीर्तन सिंह धुर्वे (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.06 को सोनपुरी बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बीट गार्ड डाबरी एवं परिक्षेत्र सहायक डाबरी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि डाबरी के कक्ष क्रमांक-1965-ए में सब इंजिनियर वासनिक द्वारा वन भूमि पर अवैध उत्खनन कर तालाब निर्माण किया जा रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वह समस्त स्टॉफ के साथ घटनास्थल पर गया था, तब उसे जानकारी लगी की उनके द्वारा निर्माण स्वीकृति के संबंध में कलेक्टर जिला बालाघाट एवं वन विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं लेकर अवैध रूप से तालाब निर्माण कराया जा रहा है, जिसके संबंध में उसके समक्ष मौके का पंचनामा परिक्षेत्र सहायक डाबरी अहमद सिंह मरकाम द्वारा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-24.02.07 को सहायक परिक्षेत्र अधिकारी डाबरी व अन्य स्टॉफ के साथ जहां पर अवैध रूप से होने वाले तालाब निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचे तो वहां आस-पड़ोस के लोगो से पूछताछ किया, तो बयान देने से इंकार करने पर उसका पंचनामा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी आई.एल. वासनिक का फरारी पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने मौके पर आरोपी को नहीं देखा था तथा जो निर्माण कार्य किया जा रहा था वह शासन के व्यय पर किया जा रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि ऐसे निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाते हैं। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य आरोपी के द्वारा किये जाने के संबंध में साक्षी ने स्वयं चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए आरोपी द्वारा कार्य कराने के कथन नहीं किये हैं और न ही ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

15— सुनील कुमार परते (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.06 को सोनपुरी बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बीट गार्ड डाबरी एवं परिक्षेत्र सहायक डाबरी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि डाबरी के कक्ष क्रमांक-1965-ए में सब इंजिनियर वासनिक द्वारा वन भूमि पर अवैध उत्खनन

कर तालाब निर्माण किया जा रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वह समस्त स्टॉफ के साथ घटनास्थल पर गया था, तब उसे जानकारी लगी की उनके द्वारा निर्माण स्वीकृति के संबंध में कलेक्टर जिला बालाघाट एवं वन विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं लेकर अवैध रूप से तालाब निर्माण कराया जा रहा है, जिसके संबंध में उसके समक्ष मौके का पंचनामा परिक्षेत्र सहायक डाबरी अहमद सिंह मरकाम द्वारा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने मौके पर जाकर देखा था तो तालाब का निर्माण कार्य शासन के व्यय पर किया जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि तालाब के निर्माण कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होती है। साक्षी ने उक्त निर्माण कार्य आरोपी के द्वारा किये जाने के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए आरोपी द्वारा कार्य कराने के कथन नहीं किये हैं और न ही ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

17— विवेचना अधिकारी ए.एस. मरकाम (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.2006 को डाबरी वृत्त में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपन स्टाफ के साथ वन भ्रमण पर था। डाबरी पहुंचने पर कक्ष क्रमांक-1965-ए में बिना अनुमति के आरोपी आई.एल. वासनिक सब इंजिनियर के द्वारा मजदूर लगाकर मिट्टी एवं पत्थरों की खुदाई कर तालाब निर्माण कार्य कराया जा रहा था। आरोपी के पास उस समय म.प्र. शासन या जिला कलेक्टर से अनुमति बाबत उक्त क्षेत्र में तालाब निर्माण करने हेतु कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था। मौके पर पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध में कमलसिंह वनरक्षक के द्वारा पी.ओ.आर-4 काटी गई थी और जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था। उक्त पी.ओ.आर की विवेचना के दौरान उसके निर्देशन में वनरक्षक कमलसिंह के द्वारा मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिसमें वन विभाग को आरोपी के कृत्य से 1,63,178/- (एक लाख त्रैसठ हजार एक सौ अठत्तर रुपये) की नुकसानी हुई थी। प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वनरक्षक कमलसिंह के द्वारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी को प्रदर्श पी-8 के माध्यम से उक्त तालाब निर्माण आरोपी के द्वारा किये जाने की सूचना दी

गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— उक्त साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा वनरक्षक कमलसिंह को आरोपी को बयान देने के लिए परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस प्रदर्श पी-9 के माध्यम से सूचना दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा कमलसिंह के कथन लेख किये गए थे, जो प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी मंगलसिंह के कथन लेख किये गए थे, जो प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी आई.एल. वासनिक को बयान देने हेतु रजिस्ट्री कर प्रदर्श पी-12 के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। प्रदर्श पी-12 में आरोपी के घर में लॉक-अप लगा होने से बिना तामीली के वापस उसे प्राप्ति स्वीकृति के साथ प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा अपना बयान अपराध की परिस्थिति के संबंध में लेख कर परिवादपत्र के साथ संलग्न किया गया है, जो प्रदर्श पी-12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। स्थानीय साक्षियों के बयान देने से इंकार करने के संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी-2 उसके समक्ष बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पी.ओ.आर से संबंधित हुई नुकसानी का प्रतिवेदन वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रदर्श पी-13 के माध्यम से दिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त विवेचना पूर्ण कर प्रकरण संबंधी जांच हेतु परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष पेश किया।

19— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने विवेचना के दौरान निर्माणाधीन तालाब वन विभाग की भूमि पर बनाए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज संग्रहित नहीं किये और न ही प्रकरण के साथ संलग्न किये, जिससे वन विभाग की भूमि का होना पुष्ट होता हो। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उपयंत्री होने के कारण राजपत्रित अधिकारी है और आरोपी के द्वारा शासन के निर्देश में कर्तव्य के निर्वहन में तालाब निर्माण कराने के कारण उसके द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व शासन से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने नोटिस देकर आरोपी व सरपंच ग्राम पंचायत अडोरी को आहूत किया था, किन्तु सरपंच को मामलें में अभियोजित नहीं किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसे यह बताया गया था कि पूरा काम सरपंच के माध्यम से आरोपी के द्वारा ही कराया जा रहा है। इस प्रकार साक्षी के कथन में उपरोक्त महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति स्वयं परिवादी के विरुद्ध विचार में लिए जाने पर परिवादी का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

20— प्रकरण में सभी साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि कथित तालाब का निर्माण कार्य शासन के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। स्वयं विवेचना अधिकारी ए.एस. मरकाम (अ.सा.4) ने कथित निर्माण कार्य वन विभाग की भूमि पर कराए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज संग्रहित न किये जाने की स्वीकारोक्ति की है। इसके अलावा उक्त साक्षी ने आरोपी के शासकीय कार्य के कर्तव्य के दौरान कार्य कराए जाने की स्वीकारोक्ति तथा आरोपी के राजपत्रित अधिकारी लोक सेवक के रूप में कार्य किये जाने के तथ्य को भी स्वीकार किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अंतर्गत विधिक अनुमति प्राप्त किया जाना वांछित था। उक्त अनुमति प्राप्त न करने के संबंध में चुनौती दिए जाने पर उक्त साक्षी ने अनुमति प्राप्त न करना तो स्वीकार किया है, किन्तु इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित निर्माण कार्य वन विभाग की भूमि पर किये जाने और कथित नुकसान आरोपी के द्वारा किये जाने के संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण परिवादी ने पेश नहीं किये हैं।

21— अभियोजन को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना होता है तथा बचाव पक्ष को अभियोजन मामलों में संदेह उत्पन्न करना होता है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के द्वारा मात्र आरोपी को अभियोजित किये जाने और ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव के विरुद्ध परिवाद पेश न किये जाने का कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए आरोपी के द्वारा कथित निर्माण कार्य शासन के व्यय पर कराया जाना मान भी लिया जाए तो स्वयं परिवादी साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक के रूप में कार्य करा रहा था। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध धारा-197 द.प्र.सं के अन्तर्गत अभियोजन पेश करने हेतु स्वीकृति नहीं लिया जाना और उसका स्पष्टीकरण पेश न किया जाना मामलों में आरोपी के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने में तात्त्विक त्रुटि को दर्शित करता है। इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थिति से परिवादी का मामला पूर्णतः संदेहास्पद प्रकट होता है।

22— इस प्रकार अभियोजन ने आरोपी के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने दिनांक-22.12.2006 के पूर्व वन विभाग डाबरी बीट, उत्तर वन मण्डल बालाघाट (सामान्य) में कक्ष क्रमांक-1965-ए में करीब 3 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर तालाब निर्माण के लिए

उत्खनन किया, जिससे शासन को करीब 1,63,178/- (एक लाख त्रेसठ हजार एक सौ अठत्तर रुपये) की हानि हुई एवं वन विभाग के इमारती वृक्ष डूब में आने से खराब हो गए। अतः आरोपी को भारतीय वन अधिनियम की धारा-26(1) छ, ज के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

23— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट